न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर०ए०एस०

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 02/2021

प्रार्थी—	***बनाम***	**अप्रार्थीगण--**
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		1. कासम अली पुत्र शरीफ भाई वरालिया जाति मुसलमान निवासी विलखपुरा गुजरात (मैसर्स तुलसी होटल एण्ड गेस्ट हाउस रामजी का गोल रोड, गुडामालानी बाड़मेर का मैनेजर) 2. सुनसारा अब्बास भाई इसुफ भाई जाति मुसलमान, 9—185 अलीपुरा वास, वाडू, पाटन गुजरात (मैसर्स तुलसी होटल एण्ड गेस्ट हाउस रामजी का गोल रोड, गुडामालानी बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :—

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री शाकर खां, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनाँक : 22.03.2020

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण की फर्म **मैसर्स तुलसी होटल एण्ड गेस्ट हाउस रामजी का गोल रोड,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:53:37 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

गुडामालानी बाड़मेर पर निरीक्षण दिनाँक **07.11.2020** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **पनीर** जो कि फ्रीज में करीब 10 कि0ग्रा0 रखा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **01 कि0ग्रा0 पनीर** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1265** अंकित कर इसकी जाँच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **पनीर** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **पनीर** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। परिवाद का जवाब एवं जुर्म स्वीकार प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे विरूद्ध लगाए गए जुर्म हम स्वेच्छा से तथा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वीकार करते हैं। यह हमारा प्रथम अपराध है, लिहाजा नरम दृष्टिकोण अपनाया जावे। आईंदा इस प्रकार से अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद का निस्तारण फरमाया जावें।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट दिनांक 10.12.2020 में नमूना अवमानक स्तर का पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत करने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जुर्म स्वीकार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:53:37 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

गया है। खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला से प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ की विश्लेषण में मिल्क फैट कन्टेन्ट ऑफ द ड्राई मैटर के ऑकडे निर्धारित मानक 50.0% के मुकाबले 20.07% पाया गया है। यह अन्तर मानक स्तर से अत्यधिक कम है तथा इस प्रकार निम्न स्तर का खाद्य पदार्थ अप्रार्थीगण द्वारा अपने होटल में ग्राहकों को विक्रय करते हुए उनके स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ किया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा असंवेदनशील तरीके से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रस्तुत कर अपने प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रयास किया गया है तथा जो खाद्य पदार्थ प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को भलीभांति निर्वहन करना चाहिए। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट एवं जुर्म स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण के द्वारा अपने इस प्रतिष्ठान से किये जा रहे व्यापार से प्रभावित होने वाले वृहद् जनहित को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 2,00,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 22.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:53:37 IST
Reason: SelfAttested